

प्रेषक,

निदेशक,  
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,  
लक्ष्मी प्रसाद मिश्र निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,  
ग्राम-पुरनाछापर, पोस्ट-भटनी,  
देवरिया।

पत्रांक: 15 / टी-3 / रा0प्र0 / भा0सं0संस्तुति / 2017

लखनऊ : दिनांक 01 जून, 2017

विषय- भारतीय गुणवत्ता परिषद की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर राजकीय/निजी औ0प्र0 संस्थानों के व्यवसाय/यूनिटों का सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में रोजगार एवं प्रशिक्षण, महानिदेशालय, नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-शून्य दिनांक 05.06.2017 के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि भारतीय गुणवत्ता परिषद की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रशिक्षण, महानिदेशालय, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की बैठक दिनांक 07.10.2016 को सम्पन्न हुयी। उप समिति की उक्त बैठक द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्घरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है तथा तत्संबंधी डी0जी0टी0 भारत सरकार के पत्रांक-डीजीटी-12/1/2016-टीसी दिनांक 08.10.2016 की प्रति संलग्न है।

| क्रम सं० | व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी संबंधन का अनुरोध किया गया। |          | संस्तुति की गयी                              |                                              | अभ्युक्ति                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|          |                                                                                |          | भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा की गयी संस्तुति | डी0जी0टी0 द्वारा प्रदान की गई स्थायी मान्यता |                              |
| 1        | 2                                                                              |          | 3                                            | 4                                            | 5                            |
| 1-       | Electrician                                                                    | 3(1+1+1) | 3(1+1+1)                                     | 3(1+1+1)                                     | A16003723<br>W.e.f. Aug 2016 |
| 2-       | Fitter                                                                         | 3(1+1+1) | 3(1+1+1)                                     | 3(1+1+1)                                     |                              |

DGT-6/24/338/2016-TC      DATED 07/10/2016

विशेष :- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 08.10.2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नीरज कुमार)

अपर निदेशक(प्रशिक्षण/शिक्षण)

पत्रांक: 15 / टी-3 / रा0प्र0 / भा0सं0संस्तुति / 2017

तददिनांकित

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. संबंधित मण्डलीय संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण/शिक्षण), को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित राजकीय/निजी औ0प्र0संस्थानों को भी अपने स्तर से अवगत कराये।
  2. संबंधित राजकीय/निजी औ0प्र0संस्थान की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
  3. गार्ड फाइल हेतु।
  4. संयुक्त निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्, उ0प्र0, अलीगंज, लखनऊ।

(नीरज कुमार)

अपर निदेशक(प्रशिक्षण/शिक्षण)